अतिमहत्वपूर्ण
ई–मेल द्वारा

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्प्यूटर कक्ष)

पत्रांक–कम्पयूटर– 957 /2016–17/दिनांक लखनऊ 20 फरवरी 2017

1.समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक,
2.समस्त जिला कृषि अधिकारी,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृषि विभाग में पारदर्शी किसान सेवा योजना को कियान्वित हुये तीसरा वर्ष चल रहा है। इसी योजना के माध्यम से विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों के बैंक खाते में अनुदान का सीधे स्थानान्तरण(डी0बी0टी0) भी हो रहा है। किन्तु कई बार लिखित एंव मौखिक निर्देश के उपरान्त भी आपके स्तर पर सम्बन्धित शासनादेश, परिपत्र तथा कृषि निदेशालय के निर्देश का पालन न कर बिना लाभार्थी के सत्यापन/मूल अभिलेख के मिलान तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये लाभ वितरण किया जा रहा है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक होने के साथ कई अधिकारियों की सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

डी0बी0टी0 के पश्चात वेब साइट पर उपलब्ध ऑकडों के विश्लेषण से कई ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी आनलाइन सिस्टम को दरकिनार कर मनमाने ढ़ंग से लाभ वितरण कर रहे हैं। ऐसे दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पृथक से कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है, किन्तु आगे इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिये आप सबको पुनः निम्न निर्देश दिये जा रहे हैं–

1. लाभार्थी चयन हेतु शासनादेश संख्या–811/12– 3–2014–100 (61)/2012 दिनांक 23.07.2014 का अनिवार्य रूप से पालन करें और पहले पंजीकृत हुये किसानों को पहले लाभ वितरण करें।
2. डी0बी0टी0 प्रकिया हेतु जारी किये गये शासनादेशों, कृषि निदेशक के परिपत्र–पत्रांक–कम्प्यूटर 270 दिनांक 04.11.2015, पत्रांक–कम्प्यूटर 286 दिनांक 30.11.2015, पत्रांक–कम्प्यूटर 467 दिनांक 07.04.2016 एंव पत्रांक–कम्प्यूटर 614 दिनांक 15.07.2016 का पुनः अध्ययन करें और इसका पूर्ण पालन सुनिश्चित करायें। यह सभी शासनादेश, परिपत्र पारदर्शी किसान सेवा योजना की वेबसाइट पर दायीं ओर "महत्वपूर्ण सूचनायें" के अन्तर्गत उपलब्ध है।
3. एक ही किसान को एक से अधिक बार उसी कृषि यंत्र का वितरण कदापि न करें, जिसे उसने पूर्व में अनुदान पर ले लिया हो।
4. एक ही बैंक खाते में एक से अधिक किसानों का अनुदान कदापि स्थानान्तरित न करें, इसे जानबूझकर की गयी वित्तीय अनियमितता माना जायेगी।
5. यदि एक ही बैंक खाता एक से अधिक लाभार्थियों के पंजीकरण के साथ लिंक किया गया है तो उसे तत्काल संशोधित करते हुये सम्बन्धित लाभार्थी के अभिलेख के अनुसार बैंक खाता अंकित करायें।
6. यह अत्यन्त आवश्यक है कि जिन किसानों की डी0बी0टी0 हो रही है, उनके तीनों वांछित अभिलेख पहचान पत्र, खतौनी की नकल, बैंक पास बुक का पहला पन्ना सम्बन्धित किसान की पंजीकरण संख्या डालते हुए उप कृषि निदेशक कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें। इन्हें शीघ्र ही स्कैन कराते हुए पंजीकरण डाटा के साथ लिंक करने की योजना है। **जिस किसी किसान को बिना उसके तीनों अभिलेखों को प्राप्त किये लाभ दिया गया है यह माना जायेगा कि सम्बन्धित अधिकारी ने स्वेच्छाचारिता करते हुये नियमों का उल्लंघन किया है** और तद्नुरूप उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव किया जायेगा।

7. माह अप्रैल 2017 से सभी योजनाओं में डी0बी0टी0 हेतु आधार नम्बर लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिये किसानों का आधार नम्बर पंजीकरण में अवश्य डलवायें ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में डी0बी0टी0 में कठिनाई न हो।
8. नोटपैड पर जनरेट होने वाली बेनीफिशरी तथा ट्रान्जेक्शन फाइल में डायरेक्ट/आफलाइन संशोधन कदापि न किया जाय।

आप सभी से एक बार पुनः अपेक्षा है कि आप इस महत्वपूर्ण कार्य में स्वंय रूचि लें और देखें कि आपका अधीनस्थ स्टाफ भी शासनादेश एंव निर्देशों का पालन करते हुये पारदर्शी लाभार्थी चयन एंव लाभ वितरण की प्रकिया में सहयोगी बनें। आप अपने स्तर पर यह भी जॉच कर लें कि यदि एक व्यक्ति के पंजीकरण में नाम ,पिता का नाम तथा पते में थोड़ा अन्तर करके कई पंजीकरण कराया गया है, कई पंजीकरण में एक ही बैंक खाता संख्या डाला गया है अथवा रकबा एंव बैंक खातों में बिना प्रमाण के कई बार संशोधन किया गया है तो, ऐसे व्यर्थ और धोखाधड़ी के उद्देश्य से किये गये पंजीकरण को चिन्हित करते हुये उन्हें लाभ वितरण कदापि न करें और जो भी इस कृत्य में शामिल हैं, उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

(ज्ञान सिंह)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–कम्प्यूटर– /लखनऊ/2016–17/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से कमेटी गठित कर जॉच करायें कि एक ही किसान को बार–बार लाभ तो नहीं दिया जा रहा है? तथा एक ही बैंक खाते में कई लाभार्थियों के अनुदान का पैसा तो नहीं जा रहा है ? जॉच आख्या 15 दिन के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करायें।
2. सभी योजनाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपनी योजनाओं में यह सुनिश्चित करायें कि एक ही लाभार्थी को बार बार लाभ न मिले तथा एक ही बैंक खाते में कई लाभार्थियों के अनुदान का पैसा न जा रहा हो।
3. वरिष्ठ सम्प्रेक्षाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ को इस आशय से कि वह अपने सम्प्रेक्षण दल को यह स्पष्ट निर्देश दे दें कि जनपदों में आडिट के समय वे इस बात की यह अवश्य जॉच करें कि जितने किसानों को डी0बी0टी0 की गयी है उनके पहचान पत्र, खतौनी की प्रति एंव पास बुक की प्रति अनिवार्य रूप से उप कृषि निदेशक कार्यालय में उपलब्ध हो ।
4. प्रमुख सचिव(कृषि), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(ज्ञान सिंह)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।